<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

टाईटल अपील संख्या 23 / 1993

पश्चात्
दिनांक 05.04.2025

अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह अपील वाद दिनांक 03.05.1993 को विद्वान प्रथम अपर न्यायकर्ता हाजीपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.1993 एवं डिक्री दिनांक 12.02.1993 के विरूद्ध लाया गया है, जिसमें कि स्वत्व वाद 92 / 1988 को ससंघर्ष खारिज किया गया था। यह भी स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवम् के यहां से यह अभिलेख प्रधान न्यायाधीश महोदय के आदेश संख्या 414 / 2024 दिनांक 19.12.2024 के आलोक में दिनांक 01.02.2025 को प्राप्त हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पिछले 32 वर्षो से निचली अदालत से संबंधित अभिलेख को संबंधित कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया है और इसी कारण कोई भी सुनवाई गुण दोष के आधार पर नहीं हुई है और अभिलेख इसी स्तर पर लंबित है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित न्यायालय को इस आदेश की प्रति भेजें और तत्काल निचली अदालत से संबंधित स्वत्व वाद 92 / 1988 के अभिलेख की मांग करे। यदि अगली तिथि तक इस मांग की आपूर्ति निचली अदालत द्वारा नहीं की जाती है तो इसकी सूचना न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इसकी सूचना प्रदान करें ताकि प्रशासनिक स्तर पर समुचित कारवाई किया जा सके। संबंधित पक्षों को भी अभिलेख सीन करा ले और उन्हें भी निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में यथासंभव प्रयास करें और यदि दस्तावेज, साक्ष्य, वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र की प्रमाणित प्रति हो तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि इन दस्तावेजों का पुनर्निर्माण कर इस वाद में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

दिनांक 19.042025 को अग्रतर कार्रवाई हेतु।

Web Copy not Official

(गौरव कमल)
लेखापित
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय

मेमो संख्या / 2025 दिनांक 05.04.2025

प्रतिलिपि निचली अदालत को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय</u>